फर्द अहकाम

सागेन्द्र बनाम जगदीश

न्यायालय

संख्या 188/2023 CS No. 382/2023

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पक्षगण उभयपक्ष प्रार्थना पत्र सी.आई.सी. सुनी गई। पक्षगण सी.आई.सी. व पत्रावली का मय दस्तावेज अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन पश्चात मनन करने पर इस न्यायालय के द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 10/11/2023 को मूल वाद के निस्तारण तक कायम किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम है, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:53:34 IST
Reason: SelfAttested